कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक– 225 दिनांक– 19/3/2026

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय :– **चतरा जिला अन्तर्गत हरहद से बभने अरिहन्त पेट्रोल पंप तक सीटी गैस पाईप लाईन निर्माण हेतु कुल 0.3889 हे0 (चतरा उत्तरी– 0.1082 हे0 एवं चतरा दक्षिणी– 0.2807 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– आपका पत्रांक 489 दिनांक 02.03.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयक प्रस्ताव पर इस कार्यालय के पत्रांक 185 दिनांक 22.02.2024 द्वारा 10 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी। पृच्छाओं का निराकरण प्रतिवेदन प्रासंगिक पत्र द्वारा समर्पित किया गया है। समर्पित निराकरण प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि पृच्छित बिन्दु का निराकरण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, किन्तु इसी क्रम में अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के रकवा में बदलाव किया गया है। पूर्व में 0.3928 हे0 हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया था, जिसे वर्तमान में बदलकर 0.3889 हे0 वनभूमि प्रस्तावित किया गया है। अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के रकवा में फेरबदल के कारण प्रस्ताव को पुनः afresh जाँचा गया। जाँचोपरान्त, प्रस्ताव में पुनः निम्नलिखित बिन्दुओं पर त्रुटियाँ पायी गयी है, जो निम्नवत् हैः–

1. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल का उनके प्रमण्डल अन्तर्गत अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि यथा 0.2807 हे0 के संबंध में recommendation letter तथा site inspection report अपलोडेड नहीं है।
2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल ने अपने पार्ट–II में अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा FC, Act का violation किया गया है, किन्तु details of violation जैसे कि period of violation, nature/type of land violated, legal action taken against erring officials के संबंध में कोई सूचना / प्रविष्टि पार्ट–II में नहीं की गयी है।
3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल के पार्ट–II में density of vegetation वाले column में area 0.2846 हे0 अंकित है जबकि चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 0.2807 हे0 वनभूमि प्रस्तावित है। अतएव, पार्ट–II में सुधार अपेक्षित है।
4. Form-A, Part-I में अपलोडेड division wise KML के अवलोकनोपरान्त पाया गया की दोनों division wise area KML में complete alignment stretch का KML अपलोड किया गया है जबकि KML प्रमण्डलवार अपयोजित होने वाले वनभूमि के आधार पर अपलोड किया जाना चाहिए। अतएव, KML में सुधार अपेक्षित है।
5. प्रस्ताव अन्तर्गत गैर–मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि 0.22548 हे0 प्रस्तावित है किन्तु GMJJ NOC 0.2741 हे0 हेतु प्राप्त है। गैर–मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि के रकवा में पाये गये अन्तर को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्पष्ट किया जाय।
6. प्रस्ताव अन्तर्गत वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण पत्र 0.4341 हे0 हेतु प्राप्त है जबकि प्रस्ताव अन्तर्गत कुल 0.3889 हे0 वनभूमि ही प्रस्तावित की गयी है। अधिक रकवा हेतु प्रमाण पत्र

क्यों प्राप्त किया गया है इसका औचित्य प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्पष्ट किया जाय। साथ ही वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति समर्पित नहीं किया गया है।

7. प्रस्ताव के साथ प्रपत्र–II (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता प्रमाण पत्र) समर्पित नहीं किया गया है जबकि उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत प्रपत्र–I समर्पित है।

अतः प्राप्त प्रस्ताव ऑनलाईन वापस करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त इंगित सभी त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव ऑनलाईन एवं Hard Copy (पाँच–पाँच प्रतियों) में समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

आपका विश्वासी,

ह०/–

उप निदेशक,

बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– 225 दिनांक– 19/3/2026

प्रतिलिपि :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/26

उप निदेशक,

बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

19/03/2026